सत्यमेव जयते

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारत सरकार

भारत के मुख्य सांख्यिकीविद के पद हेतु आवेदन आमंत्रण

पद तथा उत्तरदायित्व: भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई), भारत सरकार के सचिव के रैंक में वरिष्ठ स्तरीय पद है । सीएसआई, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव के कार्यों का निर्वहन करने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन का अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का सचिव होगा ।

अर्हताएं: आवेदक ऐसे भारतीय नागरिक होंगे जिन्हें किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में प्रमाणित सांख्यिकीय तथा प्रबंधकीय अनुभव हो । उसे इस पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 55 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं होना चाहिए।

सेवा की शर्तें: भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे अगले दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, अर्थात कुल पांच वर्ष अथवा उसके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा/होगी । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के लिए यथा स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों और सरकारी आवास जैसी अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे ।

चयन प्रक्रिया: भारत सरकार द्वारा गठित खोज समिति, रिक्ति भरने के लिए आवेदकों में से नामों के पैनल की संस्तुति करेगी । आवेदकों के अतिरिक्त, खोज समिति पद के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों की भी संस्तुति कर सकती है । सक्षम प्राधिकारी को, यदि आवश्यक समझें तो, उपर्युक्त दिए गए अर्हता मापदंडों में यथोचित छूट देने का भी अधिकार होगा ।

अभ्यर्थियों को अपने आवेदन अपने जीवन-वृत्त, जिसमें व्यावसायिक अनुभवों तथा प्रकाशनों का ब्योरा हो, के साथ उप महानिदेशक, एनएससी सचिवालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, कमरा नं. 305, तृतीय तल, सी-विंग, पुष्पा भवन, साकेत, नई दिल्ली - 110062 को डाक द्वारा अथवा nsc-secretariat@nic.in पर ई-मेल से भिजवाना चाहिए जिससे ये **31 मार्च, 2018 को अपराह्न 15.00 बजे** तक उनके पास पहुंच जाएं । सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों में कार्यरत्त अभ्यर्थियों को अपने आवेदन अपने चरित्र तथा सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्रों के साथ अपने नियोक्ता के माध्यम से भिजवाना चाहिए ।

सेवा शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mospi.gov.in पर लॉग ऑन करें ।

दिनांक: 23 फरवरी, 2018

उप महानिदेशक,
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग सचिवालय
फा.सं. **1/एनएससी-2017**

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 22, 2018/फाल्गुन 3, 1939
No. 69] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 22, 2018/PHALGUNA 3, 1939

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 फरवरी, 2018

(भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् की सेवा शर्तें)

सं.1/एनएससी-2017.— सक्षम प्राधिकारी, भारत के मुख्य साख्यिकीविद् के लिए सेवा शर्तें निम्नानुसार अनुमोदित करते हैं:—

1. चयन प्रक्रिया: भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए ऐसे भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित की जाएं जिन्हें किसी बड़े सांख्यिकीय संगठन में प्रमाणित सांख्यिकी तथा प्रबंधकीय अनुभव हो । भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर गठित खोज समिति, रिक्ति भरने के लिए आवेदकों में से नामों के पैनल की संस्तुति करेगी । आवेदकों के अतिरिक्त, खोज समिति पद के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य व्यक्तियों के नामों की भी संस्तुति कर सकती है ।

2. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के पद के लिए विचार-योग्य आवेदक, पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 55 वर्ष की आयु से अधिक नहीं होना चाहिए, जैसा खोज समिति द्वारा निर्धारित किया जाए ।

3. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा जिसे अगले दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा, अर्थात कुल पांच वर्ष अथवा उसके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा/होगी ।

4. भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् भारत सरकार के सचिव के लिए यथा स्वीकार्य वेतन तथा भत्तों और सरकारी आवास जैसी अन्य सुविधाओं के हकदार होंगे ।

5. सक्षम प्राधिकारी को, यदि आवश्यक समझें, तो आपवादिक मामलों में उपर्युक्त दिए गए अर्हता मापदंडों में यथोचित छूट देने का अधिकार होगा ।

6. उपर्युक्त सेवा शर्तें तत्काल प्रभावी होंगी और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् के लिए उपबंधों के संदर्भ में असहमति की सीमा तक, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-III, खंड-4 में प्रकाशित संकल्प सं. 85, दिनांक 1 जून, 2005, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3-उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 465 दिनांक 10.05.2006 तथा भारत के राजपत्र साप्ताहिक (9-15 मई 2015) में प्रकाशित अधिसूचना सं.19 में दिए गए उपबंधों का अधिक्रमण करेंगी ।

अरुण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./441/17]

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th February, 2018

(Service Conditions for the Chief Statistician of India)

No.1/NSC-2017.—The Competent Authority approves the service conditions for the Chief Statistician of India, as under:—

1. Selection procedure: Applications may be invited for the position of Chief Statistician of India from Indian Nationals with proven statistical and managerial experience in a large statistical organization. A Search Committee constituted by the Government of India from time to time for the purpose will recommend a panel of names for filling a vacancy from amongst the applicants. Besides the applicants, the Search Committee may also recommend names of other persons considered suitable for the position.

2. The applicants considered for the position of Chief Statistician of India should not be more than 55 years of age as on the last date for application to the position, as may be determined by the Search Committee.

3. Chief Statistician of India, will have a tenure of three years extendable by a further period of two years, i.e. a total of five years or till he/she attains the age of superannuation, whichever is earlier and will be eligible for reappointment.

4. Chief Statistician of India will be entitled to salary and allowances and other facilities like Government accommodation, as admissible to a Secretary to the Government of India.

5. The Competent Authority reserves the right to suitably relax the eligibility criteria given above, if considered necessary, in exceptional cases.

6. The above service conditions will come into immediate effect and shall, to the extent of disagreement in respect of provisions for Chief Statistician of India, supersede the provisions given in the Resolution No. 85, dated 1st June, 2005 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, in the Notification No. 465 dated 10.05.2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II-Section-3-Sub-Section (ii) and in the Notification No. 19 published in the Gazette of India Weekly (9-15 May 2015).

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

[ADVT.-III /4/Exty. /441/17]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.